न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 16/2011 (223 आर.टी.एक्ट)

1. इस्लाम पुत्र श्री जुम्मा जाति मेव,
2. रहमद्दीन पुत्र श्री जुम्मा जाति मेव,
3. सुलेमान पुत्र श्री जुम्मा जाति मेव,
4. मु0 हफीजन बेवा श्री हाकिमद्दीन पुत्र वधू जुम्मा मेव,
5. अजरूद्दीन पुत्र श्री हाकिमद्दीन जाति मेव पौत्र जुम्मा नाबालिग जर्ये सरपरस्त श्रीमती हफीजन माता खुद निवासीयान ग्राम न्याना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

..... अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती भगवानी पुत्री श्री मालूराम पत्नि मंगूराम जाति राजपूत निवासी ग्राम न्याना तहसील लक्ष्मणगढ हाल निवासी रन्तवाला तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राज0।

.....वादिनी रेस्पो0

2. सुन्दरलाल पुत्र श्री मालूराम जाति राजपूत निवासी न्याना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी अकावली तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील लक्ष्मणगढ।

..... प्रतिवादीगण रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री सतीश चन्द जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री संतोष बंसल अभिभाषक रेस्पो0 ।

अपील सं0 :– 17/2011 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. इस्लाम पुत्र श्री जुम्मा जाति मेव,
2. रहमद्दीन पुत्र श्री जुम्मा जाति मेव,
3. सुलेमान पुत्र श्री जुम्मा जाति मेव,
4. मु0 हफीजन बेवा श्री हाकिमद्दीन पुत्र वधू जुम्मा मेव,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

5. अजरूद्दीन पुत्र श्री हाकिमद्दीन जाति मेव पौत्र जुम्मा नाबालिग जर्ये सरपरस्त श्रीमती हफीजन माता खुद निवासीयान ग्राम न्याना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

..... अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती भगवानी पुत्री श्री मालूराम पत्नि मंगूराम जाति राजपूत निवासी ग्राम न्याना तहसील लक्ष्मणगढ हाल निवासी रन्तवाला तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. सुन्दरलाल पुत्र श्री मालूराम जाति राजपूत निवासी न्याना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी अकावली तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील लक्ष्मणगढ।

..... प्रतिवादीगण रेस्पो0

उपस्थित –

1. श्री सतीश चन्द जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री संजीव जैन, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक– 27.11.2019

यह दों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 10.08.09 एवं 09.08.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी एवं प्रतिवादी आपस में खास भाई बहिन हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी व प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि आराजी मुतनाजा उनके पिता श्री मालूराम की खातेदारी की आराजी थी जो सही है। उक्त श्री मालूराम ने आराजी मुतनाजा को अपने जीवनकाल में ही बमय कुल हक हकूक कब्जा काश्त एवं खातेदारी आदि सहित जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.07.68 के श्री किशनचन्द पुत्र खण्डूराम राजपूत निवासी ग्राम न्याना तहसील लक्ष्मणगढ को बिल एवज 1000 रूपया में विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय शुदा राशि प्राप्त करके आराजी मुतनाजा का कब्जा केता भी किशनचन्द को दे दिया। इस प्रकार आराजी मुतनाजा में जो हक हकूक मालूराम को प्राप्त थे वो समस्त हक हकूक किशनचन्द को प्राप्त हो गये और बयनामा निष्पादन व पंजियन कराये जाने के बाद श्री मालूराम का कोई हक व अधिकार आराजी मुतनाजा में शेष नही है। उक्त बयनामा के आधार पर किशनचन्द ने आराजी मुतनाजा का इन्तकाल अपने नाम दर्ज व तस्दीक कराने के लिये पटवारी हलका को दे दिया। पटवारी हलका के कुछ समय बाद असल बयनामा किशनचन्द को यह कहते हुये लौटा दिया कि आपका काम हो गया है। जिससे वह नेक नियति व सदभावना से इस विश्वास में रहा कि आराजी मुतनाजा का इन्तकाल उसके नाम दर्ज वो तस्दीक कर दिया गया है। उसके बाद किशनचन्द ने आराजी मुतनाजा को बमय कुल हक हकूक कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

काश्त एवं खातेदारी आदि सहित अपीलांट के पिता व दादा श्री जुम्मा के हक में दिनांक 12.06.73 को जर्ये पंजीकृत बयनामा बिल एवज 4000 रूपया में विक्रय कर दिया और समस्त विक्रयशुदा राशि प्राप्त करके आराजी मुतनाजा का कब्जा भी मौके पर दे दिया और बयनामा पंजीयन करा दिया। जिस पर वक्त खरीद से अपीलांट के पूर्वज श्री जुम्मा का कब्जा बतौर खातेदार चला आ रहा था। और उसके स्वर्गवास होने के बाद आराजी मुतनाजा पर हम अपीलांट जो कि मृतक श्री जुम्मा के जायज व कानूनी वारिसान हैं, का कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान समय में भी आराजी मुतनाजा पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पो0 1 ने आराजी मुतनाजा की बाबत रेस्पो0 2 सुन्दरलाल के खिलाफ एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के न्यायालय में दिनांक 01.08.07 को ही प्रस्तुत कर दिया और जिस वाद में अपीलांट ने अपने आपको आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के लिये अनुतोष मांगा है जो वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के न्यायालय में दायर किया हुआ है जो वाद उनके न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर सन 68 से स्व0 श्री मालूराम का कोई ताल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का नही है और ना कभी मालूराम अथवा उसके वारिसान का कब्जा रहा। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रकार जो आराजी वादी व प्रतिवादी के नाम अलग अलग खाते में दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया है जिस पर कभी भी वादिनी अथवा प्रतिवादी का कब्जा नही रहा और बिना कब्जा के फाईनल डिक्री सादिर फरमाई है। जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । इन दो अपीलों के तथ्य, विवादित आराजीयात समान हैं अतः निर्णय के बिन्दु समान होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराया एवं तर्क किया कि वादिनी एवं प्रतिवादी आपस में खास भाई बहिन हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी व प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि आराजी मुतनाजा उनके पिता श्री मालूराम की खातेदारी की आराजी थी जो सही है। उक्त श्री मालूराम ने आराजी मुतनाजा को अपने जीवनकाल में ही बमय कुल हक हकूक कब्जा काश्त एवं खातेदारी आदि सहित जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.07.68 के श्री किशनचन्द पुत्र खण्डूराम राजपूत निवासी ग्राम न्याना तहसील लक्ष्मणगढ को बिल एवज 1000 रूपया में विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय शुदा राशि प्राप्त करके आराजी मुतनाजा का कब्जा केता भी किशनचन्द को दे दिया। इस प्रकार आराजी मुतनाजा में जो हक हकूक मालूराम को प्राप्त थे वो समस्त हक हकूक किशनचन्द को प्राप्त हो गये। उसके बाद किशनचन्द ने आराजी मुतनाजा को बमय कुल हक हकूक कब्जा काश्त एवं खातेदारी आदि सहित अपीलांट के पिता व दादा श्री जुम्मा के हक में दिनांक 12.06.73 को जर्ये पंजीकृत बयनामा बिल एवज 4000 रूपया में विक्रय कर दिया और समस्त विक्रयशुदा राशि प्राप्त करके आराजी मुतनाजा का कब्जा भी मौके पर दे दिया और बयनामा पंजीयन करा दिया। जिस पर वक्त खरीद से अपीलांट के पूर्वज श्री जुम्मा का कब्जा बतौर खातेदार चला आ रहा था। और उसके स्वर्गवास होने के बाद आराजी मुतनाजा पर हम अपीलांट जो कि मृतक श्री जुम्मा के जायज व कानूनी वारिसान हैं, का कब्जा चला आ रहा है। यह स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर सन 68 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

स्व0 श्री मालूराम का कोई ताल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का नही है और ना कभी मालूराम अथवा उसके वारिसान का कब्जा रहा। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रकार जो आराजी वादी व प्रतिवादी के नाम अलग अलग खाते में दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया है जिस पर कभी भी वादिनी अथवा प्रतिवादी का कब्जा नही रहा और बिना कब्जा के फाईनल डिक्री सादिर फरमाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना फैसला व डिक्री अपीलांट के खिलाफ एकतरफा में सादिर फरमाई है जिस कार्यवाही में ना तो अपीलांट को पक्षकार बनाया गया है और ना ही पैरवी करने का उचित अवसर दिया गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जो फाईनल डिक्री जिस प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर सादिर फरमाई है वो डिक्री ही गलत तौर पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य जाहिर करते हुये सही तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो0 ने जबाब बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 271 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 642 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम न्याना तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 आपस में भाई बहिन हैं। जो मृतक मालूराम की संतान हैं। विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता मालूराम के नाम दर्ज है।अचानक बीमारी के कारण मालूराम का दिनांक 10.10.81 को देहान्त हो गया। रेस्पो संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 2 के अलावा और कोई दीगर कानूनी जायज वारिस नही हैं। उसकी संपत्ति पर रेस्पो0 1 व 2 बहैसियत वारिस मृतक मालूराम के काबिज हैं तथा हिस्सानुसार विवादित आराजी का लगान भी जमा करा रहे है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा नही है। 2012 में इस्लाम बनाम सुन्दर के नाम से अधीनस्थ न्यायालय में नियमित वाद चल रहा था तो उसको आज तक रिस्टोर क्यों नही करवाया गया। यदि कोई अनुतोष चाहते हैं तो तहत अदालत में जाना चाहिये था। बिना खातेदारी अधिकार में नाम इन्द्राज किये ही विवादित आराजीयात को क्रय किया है तथा बयनामा फर्जी किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय के साथ प्रस्तुत रेकार्ड का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया गया ।

धारा 5 अपीलांट स्वीकार किया जाकर पत्रावली के अवलोकन पश्चात स्पष्ट है कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में इस्लाम बनाम सुन्दरलाल, भगवानी बाई प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा आदेश 9 नियम 4 का भी पेश किया हुआ है। इस बाबत अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र 11.10.2018 को पेश किया जाकर उपरोक्त प्रकरणों की फर्द अहकाम एवं प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा वाद के रिस्टोर तहत अदालत में ही चाराजोही की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा तहत अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 दीवानी प्रक्रिया संहिता के निर्णय के पूर्व कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 दीवानी प्रक्रिया संहिता भी खारिज किया जाता है।

परिणामस्वरूप यह दोनों अपीलें अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 10.08.09 एवं 09.08.2010 को इस स्तर (अपीलांट द्वारा तहत अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 दीवानी प्रक्रिया संहिता) तक यथावत जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.11.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज.)